भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1529

गुरूवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947, (शक)

चाय बागान मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करना

1529. श्री अजीत कुमार भुयान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चाय उद्योग के लिए कोई राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चाय बागान मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती है जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलने वाली मजदूरी से भी बहुत कम है और यह मजदूरी क्षेत्र-दर-क्षेत्र तथा विभिन्न चाय उत्पादक क्षेत्रों/राज्यों में अत्यधिक सीमा तक भिन्न-भिन्न होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास चाय बागान के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और चाय उद्योग के लिए एक केंद्रीय मजदूरी बोर्ड स्थापित करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंध तर्कसंगत बनाए गए हैं और इन्हें मजदूरी संहिता, 2019 के तहत समाहित किया गया है, जिसे सभी रोजगारों में न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक रूप से लागू करने के उद्देश्य से दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी बनाया गया है।

मजदूरी संहिता, 2019, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को समुचित सरकार के रूप में, उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण, समीक्षा और इनमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती है।

मजदूरी संहिता, 2019 के उपबंधों के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/संशोधन या तो स्वतंत्र सदस्यों के साथ नियोक्ताओं और कर्मचारियों के समान प्रतिनिधित्व वाली समितियों के माध्यम से या प्रभावित व्यक्तियों से अभ्यावेदन आमंत्रित करते हुए मसौदा प्रस्तावों के प्रकाशन के माध्यम से किया जा सकता है और न्यूनतम मजदूरी को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श करना अनिवार्य होता है।

इसके अलावा, मजदूरी संहिता, 2019 निम्नतम मजदूरी को एक सांविधिक उपबंध बनाती है। मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 9, केंद्र सरकार द्वारा निम्नतम मजदूरी तय करने का प्रावधान करती है। संहिता में यह भी निर्धारित किया गया है कि समुचित सरकारों द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें, निम्नतम मजदूरी से कम नहीं होंगी।

*****